

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
डबल्यू.पी. (सी) संख्या 4223/2019

मो. फिरोज

..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. दामोदर घाटी निगम अपने अध्यक्ष, डीवीसी, कोलकाता के माध्यम से
2. अतिरिक्त सचिव, डीवीसी, कोलकाता
3. परियोजना प्रमुख-सह-वरिष्ठ मुख्य अभियंता (उत्पादन), डीवीसी, मैथन, धनबाद
4. कार्यपालक अभियंता, कैंप पावर हाउस, डीवीसी, मैथन, धनबाद

... .. उत्तरदाता गण

कोरम: माननीय जस्टिस श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ता के लिए:

श्री संजय कुमार सिन्हा, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के

लिए: श्री श्रीजीत चौधरी, अधिवक्ता

05/01.07.2021 वर्तमान रिट याचिका आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली गई है।

वर्तमान रिट याचिका उत्तरदाताओं को निर्देश जारी करने के लिए दायर की गई है कि याचिकाकर्ता की दुकान में कार्यालय ज्ञापन जैसा प्रतिवादी सं. 2 अतिरिक्त सचिव, दामोदर घाटी, निगम, कोलकाता के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया पत्र सं 1087 दिनांक 27.09.2012 के संदर्भ में अधिकृत बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाय

कुछ तर्क के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वत अधिवक्ता श्री संजय कुमार सिन्हा, प्रतिवादी-दामोदर घाटी निगम के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता की शिकायत के निवारण के लिए उचित सहारा लेने के लिए स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

श्री श्रीजीत चौधरी, उत्तरदाताओं के लिए विद्वत अधिवक्ता को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

अनुमति दी जाती है।

रिट याचिका को पूर्वोक्त के साथ वापस ले लिया गया है।

(राजेश शंकर, जे.)